कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-न-5(17)पुलिस-फोर्स/कानि0 भर्ती/09/6494 दिनांकः-14.10.2010

भर्ती हेतु विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला/बटालियन/यूनिट में कान्स्टेबल सामान्य, कान्स्टेबल ऑपरेटर, कान्स्टेबल ड्राईवर, कान्स्टेबल घुडसवार एवं कान्स्टेबल बैण्ड के 7300 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों से आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप में प्रक्रियानुसार दिनांक 12.11.2010 को सायंकाल 5.00 बजे तक सम्बन्धित जिला पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट, राजस्थान सशस्त्र बल/ एम.बी.सी. बटालियन/ यूनिट कार्यालय में आमन्त्रित किये जाते हैं। लिखित परीक्षा की दिनांक पुलिस मुख्यालय द्वारा शीघ्र ही पृथक से प्रकाशित की जाएगी।

भर्ती हेतु रिक्त स्थानों की गणना, योग्यता एवं पात्रता, भर्ती प्रक्रिया इत्यादि का विस्तृत विवरण पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश 05/2010 में वर्णित है। किसी भी विवाद की स्थिति में स्थाई आदेश 05/2010 दिनांक 07.10.2010 में वर्णित प्रावधानों को ही अन्तिम माना जायेगा।

2-भर्ती हेतु रिक्त पद-

जिला/यूनिट/बटालियन में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना की गई है जो निम्नानुसार है। आरक्षण नियमानुसार लागू किया जावेगा और आवश्यकता होने पर विभाग विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।

हाडीरानी महिला बटालियन (आई.आर.)में कान्स्टेबल सामान्य के 10 प्रतिशत (62) पदों पर पुरूष अभ्यर्थियों की भर्ती की जानी है तथा शेष पद महिला अभ्यर्थियों से भरे जाने हैं, जिनका लिंगवार विवरण तालिका 'ख' में पृथक-पृथक अंकित है। इस बटालियन में कान्सटेबल ड्राईवर के सभी 50 रिक्त पद पुरूष अभ्यर्थियों से भरे जाने हैं।

क-कान्स्टेबल सामान्य

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने है	सहरिया	एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
1	पुलिस अधीक्षक मुख्या.जयपुर शहर	0	91	86	106	6	326	615
2	पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण	0	58	25	45	2	89	219
3	पुलिस अधीक्षक, दौसा	0	29	0	22	1	54	106
4	पुलिस अधीक्षक, सीकर	0	30	24	17	0	14	85
5	पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू	0	11	17	6	0	0	34
6	पुलिस अधीक्षक, अलवर	0	47	0	22	1	39	109
7	पुलिस अधीक्षक, भरतपुर	0	22	17	0	0	56	95
8	पुलिस अधीक्षक, सवाई माधौपुर	0	20	0	0	1	98	119
9	पुलिस अधीक्षक, करौली	0	23	0	7	1	47	78
10	पुलिस अधीक्षक, धौलपुर	0	19	13	2	1	46	81
11	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	0	40	33	53	2	137	265
12	पुलिस अधीक्षक, नागौर	0	23	32	30	1	57	143
13	पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	0	28	17	43	2	118	208
14	पुलिस अधीक्षक, टोंक	0	40	4	27	1	103	175
15	पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ	0	67	60	46	2	110	285
16	पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द	0	21	13	30	1	73	138

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने हैं	सहरिया	एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
17	पुलिस अधीक्षक, जोधपुर शहर	0	9	59	36	2	64	170
18	पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण	0	25	18	16	0	104	163
19	पुलिस अधीक्षक, बाडमेर	0	30	21	0	1	50	102
20	पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर	0	15	28	24	1	44	112
21	पुलिस अधीक्षक, जालौर	0	23	21	25	1	45	115
22	पुलिस अधीक्षक, पाली	0	26	30	29	2	137	224
23	पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर	0	16	4	10	1	25	56
24	पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण	0	15	20	22	0	49	106
25	पुलिस अधीक्षक, बून्दी	0	14	4	12	0	29	59
26	पुलिस अधीक्षक, झालावाड़	0	24	13	30	1	62	130
27	पुलिस अधीक्षक, बीकानेर	0	28	30	28	1	46	133
28	पुलिस अधीक्षक, चुरू	0	17	26	21	1	29	94
29	पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर	0	35	57	43	2	115	252
30	पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ	0	7	9	0	0	63	79
31	पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी,पुलिस मुख्यालय, जयपुर	0	34	18	0	0	11	63
32	पुलिस अधीक्षक, सीआईडी आईबी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	0	16	12	22	1	55	106
33	पुलिस अधीक्षक, जीआरपी अजमेर	0	21	7	24	1	80	133
34	पुलिस अधीक्षक, जीआरपी जोधपुर	0	6	17	13	0	28	64
35	पुलिस अधीक्षक, एसीबी, जयपुर	0	16	13	5	1	6	41
36	कमाण्डेन्ट, प्रथम बटालियन जोधपुर	0	12	24	13	1	0	50
37	कमाण्डेन्ट, द्वितीय बटालियन कोटा	0	3	0	0	0	0	3
38	कमाण्डेन्ट, तृतीय बटालियन बीकानेर	0	4	28	19	1	37	89
39	कमाण्डेन्ट, चतुर्थ बटा. चैनपुरा जयपुर	0	7	1	4	0	0	12
40	कमाण्डेन्ट, पांचवी बटा. घाटगेट जयपुर	0	5	7	3	0	0	15
41	कमाण्डेन्ट, छटी बटालियन धौलपुर	0	10	7	16	0	50	83
42	कमाण्डेन्ट, सातवीं बटालियन भरतपुर	0	6	5	0	0	22	33
43	कमाण्डेन्ट, आठवीं बटालियन आईआर, गाजीपुर दिल्ली-96	0	2	16	0	0	43	61
44	कमाण्डेन्ट, नवीं बटा. टोंक	0	0	4	1	0	0	5
45	कमाण्डेन्ट, दसवीं बटा. बीकानेर	0	3	2	2	0	5	12
46	कमाण्डेन्ट, 11वीं बटालियन आईआर, विजयघाट, दिल्ली-6	0	9	9	4	0	0	22
47	कमाण्डेन्ट, 12वीं बटालियन, विकासपुरी दिल्ली-18	0	10	2	7	0	18	37
48	कमाण्डेन्ट, एमबीसी खैरवाडा, जिला उदयपुर	0	0	0	0	0	33	33
49	पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा	0	0	35	0	0	79	114
50	पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर	0	0	23	0	0	34	57

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने हैं	सहरिया	एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
51	पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ	0	0	101	0	0	164	265
52	पुलिस अधीक्षक, बांरा	53	3	3	9	1	144	213
53	पुलिस अधीक्षक, उदयपुर	0	41	67	38	2	91	239
54	पुलिस अधीक्षक, सिरोही	0	28	21	6	1	53	109
	योग	53	1171	1154	947	46	3193	6564

नोटः- आबकारी विभाग एवं पुलिस दूरसंचार (सामान्य ड्यूटी) हेतु निर्धारित पद भी उपर्युक्त रिक्तियों में सम्मिलित हैं। जिले के रिक्त पदों पर भर्ती किये जाने वाले अभ्यर्थियों में से ही उक्त भरे जायेंगे।

ख-कान्स्टेबल सामान्य

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने हैं		एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
1	कमाण्डेन्ट,हाडीरानी महिला बटालियन नारेली, अजमेर	महिला	47	31	5	2	8	93
		पुरूष	35	20	4	0	3	62
	योग		82	51	9	2	11	155

ग-कान्स्टेबल ऑपरेटर

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने हैं	एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
1	पुलिस अधीक्षक, प्रशासन, पुलिस दूरसंचार, जयपुर	9	7	6	0	15	37
	हाडीरानी बटा. हेतु (केवल महिलाए)	4	2	5	0	1	12

घ-कान्स्टेबल ड्राईवर

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने हैं	सहरिया	एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
1	पु.अधीक्षक मुख्यालय, जयपुर शहर	0	8	7	9	0	25	49
2	पुलिस अधीक्षक, जयपुर ग्रामीण	0	13	3	2	1	0	19
3	पुलिस अधीक्षक, दौसा	0	3	0	0	0	0	3
4	पुलिस अधीक्षक, सीकर	0	4	1	0	0	0	5
5	पुलिस अधीक्षक, झुन्झुनू	0	3	0	0	0	0	3
6	पुलिस अधीक्षक, भरतपुर	0	1	0	0	0	0	1
7	पुलिस अधीक्षक, करौली	0	4	0	0	0	0	4
8	पुलिस अधीक्षक, धौलपुर	0	2	0	1	0	4	7
9	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	0	1	2	1	0	3	7
10	पुलिस अधीक्षक, नागौर	0	0	0	0	0	1	1
11	पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा	0	0	0	0	0	1	1
12	पुलिस अधीक्षक, टोंक	0	0	0	0	0	1	1
13	पुलिस अधीक्षक, उदयपुर	0	2	1	2	0	5	10
14	पुलिस अधीक्षक, बांसवाड़ा	0	0	4	0	0	1	5

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने हैं	सहरिया	एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
15	पुलिस अधीक्षक, चित्तौड़गढ	0	5	0	0	0	0	5
16	पुलिस अधीक्षक, डूंगरपुर	0	0	6	0	0	4	10
17	पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ	0	0	6	0	0	0	6
18	पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द	0	3	3	0	0	0	6
19	पुलिस अधीक्षक, बाडमेर	0	8	10	6	0	4	28
20	पुलिस अधीक्षक, जैसलमेर	0	9	11	10	0	16	46
21	पुलिस अधीक्षक, जालौर	0	2	2	2	0	2	8
22	पुलिस अधीक्षक, पाली	0	4	3	1	0	3	11
23	पुलिस अधीक्षक, सिरोही	0	3	9	2	0	0	14
24	पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर	0	9	5	4	1	0	19
25	पुलिस अधीक्षक, कोटा ग्रामीण	0	6	5	4	0	4	19
26	पुलिस अधीक्षक, बून्दी	0	5	0	4	0	10	19
27	पुलिस अधीक्षक, बांरा	5	1	1	1	0	11	19
28	पुलिस अधीक्षक, झालावाड़	0	2	2	2	0	0	6
29	पुलिस अधीक्षक, बीकानेर	0	7	3	0	0	0	10
30	पुलिस अधीक्षक, चुरू	0	2	0	0	0	0	2
31	पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर	0	16	26	4	0	20	66
32	पुलिस अधीक्षक, प्रशासन एवं अन्वेषण सीआईडी सीबी,पुलिस मुख्यालय,जयपुर	0	6	0	0	0	0	6
33	पुलिस अधीक्षक, सीआईडी आईबी, पुलिस मुख्यालय, जयपुर	0	0	0	1	0	3	4
34	पुलिस अधीक्षक, जीआरपी अजमेर	0	0	2	1	0	3	6
35	पुलिस अधीक्षक, जीआरपी जोधपुर	0	0	0	1	0	3	4
36	पुलिस अधीक्षक, एसीबी,जयपुर	0	11	0	0	0	2	13
37	कमाण्डेन्ट, प्रथम बटा.जोधपुर	0	4	0	0	0	0	4
38	कमाण्डेन्ट, द्वितीय बटा. कोटा	0	3	1	2	0	5	11
39	कमाण्डेन्ट, तृतीय बटा. बीकानेर	0	3	2	2	0	3	10
40	कमाण्डेन्ट, चतुर्थ बटा.चैनपुरा जयपुर	0	4	0	0	0	0	4
41	कमाण्डेन्ट, सातवीं बटा.भरतपुर	0	5	0	0	0	3	8
42	कमाण्डेन्ट, आठवीं बटा. आईआर, गाजीपुर दिल्ली-96	0	5	1	2	0	5	13
43	कमाण्डेन्ट, नवीं बटा. टोंक	0	2	0	0	0	0	2
44	कमाण्डेन्ट, दसवीं बटा.बीकानेर	0	0	2	1	0	5	8
45	कमाण्डेन्ट, 11वीं बटालियन आईआर, विजयघाट, दिल्ली-6	0	6	2	2	0	0	10
46	कमाण्डेन्ट, 12वीं बटालियन, विकासपुरी दिल्ली-18	0	4	1	2	0	3	10
47	कमाण्डेन्ट, एमबीसी खैरवाडा, जिला उदयपुर	0	0	2	0	0	0	2
48	कमाण्डेन्ट,हाडीरानी महिला बटा.नारेली, अजमेर **(केवल पुरूष आवेदन करें)**	0	8	6	9	0	27	50
	योग	5	184	129	78	2	177	575

कानि. ड्राईवर के योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे रिक्त पदों को सम्बन्धित वर्ग के कॉन्स्टेबल (सामान्य) के अभ्यर्थी से भरा जाएगा।

ड़-कान्स्टेबल घुडसवार

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने हैं	एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
1	पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, जयपुर शहर	1	1	2	0	5	9
2	पुलिस अधीक्षक, अलवर	0	1	0	0	0	1
3	पुलिस अधीक्षक, अजमेर	0	0	0	0	2	2
4	पुलिस अधीक्षक, उदयपुर	1	0	0	0	1	2
5	पुलिस अधीक्षक, जोधपुर शहर	1	0	0	0	0	1
6	पुलिस अधीक्षक, कोटा शहर	2	1	1	0	2	6
7	पुलिस अधीक्षक, बीकानेर	0	0	0	0	2	2
8	पुलिस अधीक्षक, गंगानगर	0	0	0	0	2	2
	योग	5	3	3	0	14	25

च-कान्स्टेबल बैण्ड

क्र. सं.	नियंत्रक अधिकारी जहां आवेदन पत्र भिजवाये जाने हैं	सहरिया	एससी	एसटी	ओबीसी	एसबीसी	सामान्य	योग
1	पुलिस अधीक्षक मुख्यालय,जयपुर शहर	0	0	0	0	0	3	3
2	पुलिस अधीक्षक, करौली	0	0	1	1	0	3	5
3	पुलिस अधीक्षक,अजमेर	0	0	1	0	0	0	1
4	पुलिस अधीक्षक,चित्तौड़गढ	0	0	1	0	0	0	1
5	पुलिस अधीक्षक,बाडमेर	0	0	1	0	0	3	4
6	पुलिस अधीक्षक,जैसलमेर	0	0	0	0	0	1	1
7	पुलिस अधीक्षक,जालौर	0	0	1	1	0	3	5
8	पुलिस अधीक्षक,पाली	0	0	1	1	0	2	4
9	पुलिस अधीक्षक,सिरोही	0	0	1	1	0	1	3
10	पुलिस अधीक्षक,कोटा शहर	0	0	0	0	0	1	1
11	पुलिस अधीक्षक,कोटा ग्रामीण	0	0	1	0	0	0	1
12	पुलिस अधीक्षक,बांरा	1	0	0	0	0	1	2
13	पुलिस अधीक्षक,बीकानेर	0	0	0	0	0	1	1
14	पुलिस अधीक्षक,हनुमानगढ	0	0	0	0	0	1	1
15	कमाण्डेन्ट, प्रथम बटा. जोधपुर	0	0	1	1	0	4	6
16	कमाण्डेन्ट, द्वितीय बटा. कोटा	0	0	2	1	0	2	5
17	कमाण्डेन्ट, तृतीय बटा. बीकानेर	0	0	2	1	0	3	6
18	कमाण्डेन्ट, चतुर्थ बटा. चैनपुरा जयपुर	0	0	2	1	0	3	6
19	कमाण्डेन्ट,पांचवी बटा. घाटगेट जयपुर	0	0	0	0	0	1	1
20	कमाण्डेन्ट, छटी बटा. धौलपुर	0	0	2	1	0	7	10
21	कमाण्डेन्ट, सातवीं बटा. भरतपुर	0	0	2	0	0	5	7
22	कमाण्डेन्ट, नवीं बटा. टोंक	0	0	2	2	0	4	8

23	कमाण्डेन्ट, दसवीं बटा. बीकानेर	0	0	0	1	0	2	3
24	कमाण्डेन्ट,एमबीसी खैरवाडा, जिला उदयपुर	0	0	0	0	0	2	2
योग		1	0	21	12	0	53	87

3-<u>आरक्षण</u>-

(i) विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण दण्डवत् (horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

किसी वर्ग (सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एसबीसी) हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवम निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एसबीसी) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ii) कुल रिक्त पदों में 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एसबीसी वर्ग हेतु निर्धारित आरक्षण सीमाओं के भीतर ही समायोजित होगा। प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

(iii) भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3 (क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(iv) राजस्थान राज्य के अलावा अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जायेगा।

(v) जिला उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ, एवम सिरोही के उन क्षेत्रों जिन्हें ट्राईबल सब प्लान एरिया के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है, के पदों में अनुसूचित जन जाति हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति हेतु 5 प्रतिशत पद केवल स्थानीय अभ्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगे। इन क्षेत्रों में अन्य पिछडा वर्ग एवं विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षण ''शून्य" रहेगा।

(vi) ट्राईबल सब प्लान एरिया में पूर्ण अथवा आंशिक रूप से आने वाले क्षेत्रों में ट्राईबल सब प्लान एरिया के स्थानीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदकों के लिए कुल रिक्त स्थानों में निम्नानुसार पद आरक्षित है:-

जिले का नाम	पद	स्थानीय अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पद (एससी)	स्थानीय अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित पद (एसटी)
जिला उदयपुर	कानि.	8	46
जिला सिरोही	कानि.	5	11
	ड्राईवर	0	4
जिला प्रतापगढ	कानि.	0	101
जिला बांसवाडा	कानि.	0	35
जिला डूंगरपुर	कानि.	0	23

(vii)जिला बांरा की सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों में 25 प्रतिशत (कॉन्स्टेबल एवं कान्स्टेबल ड्राईवर) रिक्तियां जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति से एवं शेष 75 प्रतिशत रिक्तियां सामान्य नियमों के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों से 6 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों से 8 प्रतिशत, अन्य पिछडी जातियों से 10 प्रतिशत, विशेष पिछडा वर्ग से 1 प्रतिशत एवं सामान्य वर्ग से 50 प्रतिशत पद भरे जाएंगे।

(viii) रिक्त पदों में से 2 प्रतिशत पद राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प-5(31)कार्मिक क-2/84/ 23.09.97 में उल्लेखित उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। यह आरक्षण अनु.जाति/अनु.जनजाति/ओबीसी/एसबीसी हेतु निर्धारित आरक्षण सीमा के भीतर ही समायोजित होगा। उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर यह पद सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाऐगें।

(ix) राजस्थान के अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग के लिए आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा।

4-<u>वेतनमान और पेंशन</u>-

कानि. पद पर नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में 6100/-रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (fixed remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् नियमानुसार कानिस्टेबल पद की वेतन श्रृंखला 5200-20200 में न्यूनतम मूल मासिक वेतन रुपये 6100 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01-01-2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5-<u>भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट</u>-

(i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।

(ii) न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता-

जिला/यूनिट/बटालियन	आवेदित पद	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
जिला पुलिस एवं सीआईडी(सीबी/आईबी) जीआरपी/एसीबी	कानिस्टेबल सामान्य/ कानिस्टेबल ड्राईवर/ कान्स्टेबल घुडसवार/ कानिस्टेबल बैण्ड	मान्यता प्राप्त स्कूल/परीक्षा बोर्ड से सैकण्डरी या दसवीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण
पुलिस दूरसंचार	कानिस्टेबल ऑपरेटर	भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड से हायर सैकण्डरी विज्ञान मय भौतिक शास्त्र एवं गणित विषय अथवा सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण।
आर.ए.सी./एम.बी.सी. बटालियन	कानिस्टेबल सामान्य/ कानिस्टेबल ड्राईवर/ कानिस्टेबल बैण्ड	मान्यता प्राप्त स्कूल/बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण

नोट- जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्यनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/ अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(iii) आयु सीमा:-राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम,1989 के नियम-11 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ-7(2)डीओपी/ए-2/84-पार्ट दिनांक 25.06.2004 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2011 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी-

वर्ग (category)	कानिस्टेबल सामान्य/ ऑपरेटर/घुडसवार/बैण्ड			कानिस्टेबल ड्राईवर		
	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि से पहले का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)		निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि से पहले का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)	
	पुरूष/महिला	पुरूष	महिला	पुरूष/महिला	पुरूष	महिला
सामान्य	1.1.1993	2.1.88	2.1.83	1.1.1993	2.1.85	2.1.80
एस.सी./एस.टी./ ओ.बी.सी./एसबीसी वर्ग	1.1.1993	2.1.83	2.1.78	1.1.1993	2.1.80	2.1.75
कर्त्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	1.1.1993	2.1.85	2.1.80	1.1.1993	2.1.82	2.1.77
भूतपूर्व सैनिक	1.1.1993	2.1.71	2.1.71	1.1.1993	2.1.71	2.1.71

(iv)शारीरिक मापदण्ड-राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम-14 के अनुसार अभ्यर्थियों का ऊंचाई, सीने का माप एंव वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:-

मापदण्ड	सामान्य क्षेत्र		पहाडी एवं आदिवासी	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	152 से.मी.
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाऐ-81से.मी. फुलाने पर-86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाऐ-79से.मी. फुलाने पर-84से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.

नोट- यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनसूचित जनजाति के पुरूष अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।

(v) चिकित्सकीय मापदण्ड-

(i) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6X6 बिना चश्मे के होना अनिवार्य है।

(ii) अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए।

(iii) अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (knock-knee), नसें फूली हुई होना (varicose veins), भैंगापन (squint), रतौंधी(Night Blindness) रंग दृष्टि दोष (Colour Blindness) हकलाकर बोलना (stammering), पैर समतल (flat foot) एवं अन्य कोई विकृति या कुरूपता (any other deformity) नहीं होनी चाहिए।

(vi) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01-06-2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परन्तु जहाँ किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतान पैदा होती हैं तो संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव में पैदा हुई संतानों को एक इकाई माना जाएगा।

(vii) आवेदक के एक से अधिक जीवित पति/पत्नि होने पर वह नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी जब तक कि राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई विशेष छूट नहीं दी हो।

(viii) कोई भी विवाहित/विवाहिता अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने विवाह के समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

(ix) कानिस्टेबल ड्राईवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का बना हुआ स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV/HMV) होना आवश्यक है।

(x) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

6-<u>चयन प्रकिया-</u>

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 100 अंक हैं (कान्स्टेबल बैण्ड के लिए केवल 25 अंक) जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगी-

परीक्षा का चरण	कानि.सामान्य/ कानि. ऑपरेटर	कानि. ड्राईवर	कानि. घुडसवार	कानि. बैण्ड
लिखित परीक्षा	75	75	75	लागू नहीं
शारीरिक दक्षता परीक्षा	15	10	10	10
दक्षता परीक्षा	लागू नहीं	15	15	15
विशेष योग्यता (एन.सी.सी., होमगार्ड, कम्प्यूटर ज्ञान)-प्रमाण पत्र के आधार पर आवंटित किये जाने वाले अंक	10	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
योग	100	100	100	25

(i) <u>लिखित परीक्षा-</u>

(i) अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी तथा न ही कोई आपत्ति स्वीकार होगी। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 75 अंकों का होगा। लिखित परीक्षा तीन भागों में वस्तुनिष्ठ (objective type) प्रकार की होगी। लिखित परीक्षा का भाग 'अ' 'विवेचना एंव तार्किक योग्यता' के प्रश्नों से सम्बन्धित 30 अंक का, भाग 'ब' सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर 15 अंक का तथा भाग 'स' 'राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल इत्यादि विषयों पर आधारित 30 अंक का होगा। इस परीक्षा में सामान्य, व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 40 प्रतिशत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 36 प्रतिशत तथा बारॉ जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसील के निवासी सहरिया आदिम जाति एवं ट्राईबल सब-प्लान क्षेत्र के स्थानीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी यों के लिए 30 प्रतिशत अंक, प्रश्न पत्र के प्रत्येक भाग में अलग-अलग प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

भाग 'अ' के प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक प्राप्त होगा तथा इसके किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर ¼ अंक काटा जायेगा। भाग 'ब' एवं 'स' के प्रत्येक प्रश्न ½ अंक के होगें। इनके किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर प्राप्त अंकों में से प्रत्येक गलत उत्तर का ⅛ अंक काटा जाएगा।

(ii) कानि. (बैण्ड) हेतु लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी।

लिखित परीक्षा का परिणाम प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा एवं इसकी सूचना सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के सभी भागों के अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

(ii) <u>मापतोल एवम शारीरिक दक्षता परीक्षा</u>–

सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन की रिक्तियों के वर्गवार पांच गुणा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक माप-तोल व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अनु.जाति, अनु.जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग के उन अभ्याथियों को जिन्होनें आयु में छूट प्राप्त नहीं की है एवं सामान्य वर्ग के कटऑफ के समान अथवा उससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, को भी आमंत्रित किया जायेगा। सामान्य वर्ग में सम्मिलित किये गये ऐसे अभ्यर्थी केवल सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्व शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगें।

भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक माप-तोल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की निम्नानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी।

	टेस्ट	मापदण्ड (अधिकतम)
• **पुरूषों के लिए**	10 कि.मी. दौड़	60 मिनिट में
• **महिलाओं के लिए**	5 कि.मी. दौड़	35 मिनिट में
• **भूतपूर्व सैनिकों/ट्राईबल सबप्लान क्षेत्र के अनु.जाति/जनजाति/ सहरिया आदिवासी हेतु**	5 कि.मी. दौड	30 मिनिट में

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अग्रिम प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किये जायेगें।

(iii) <u>दक्षता परीक्षा</u>- (केवल कान्स्टेबल ड्राईवर, कान्स्टेबल घुडसवार एवम कान्स्टेबल बैण्ड के लिए) शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण कानि. ड्राईवर/कानि. बैण्ड, कानि. घुडसवार पद के अभ्यर्थियों हेतु दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 15 अंकों की होगी। दक्षता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक प्रत्येक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा के अनुरूप ही होंगे। कानि. ड्राईवर पद के अभ्यर्थी की वाहनों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, वाहनों के रख-रखाव एवं वाहन चलाने सम्बन्धी परीक्षा ली जाएगी।कानि. बैण्ड पद के अभ्यर्थी की बैण्ड उपकरणों से सम्बन्धित तकनीकी जानकारी, उनके रख रखाव व धुनों के ज्ञान इत्यादि से सम्बन्धित परीक्षा ली जाएगी। कान्स्टेबल घुडसवार के अभ्यर्थी की घुडसवारी में दक्षता, घोडों के रख-रखाव, खान-पान एवं उनके स्वास्थ्य आदि से सम्बन्धित परीक्षा ली जाएगी। दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन हेतु सम्मिलित किये जायेगें।

(iv) <u>चयन सूची</u>- अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, दक्षता परीक्षा एवं विशेष योग्यता) से अंकों का योग 45 प्रतिशत सामान्य वर्ग के लिए, 40 प्रतिशत अनु.जाति/अनु.जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग, विशेष पिछडा वर्ग एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए तथा 35 प्रतिशत सहरिया आदिम जाति/ट्राईबल सब प्लान क्षेत्र के अनु.जाति/अनु.जनजाति निवासियों के लिए अर्जित नहीं करने पर उन्हें अनुर्तीण घोषित किया जाएगा। उपरोक्त निर्धारित अंकों से अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राप्तांकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता कम में चयन सूची तैयार की जावेगी। सम्भावित रिक्त पदों के विरूद्व चयन किये गये अभ्यर्थियों को रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति दी जा सकेगी।

(v) विशेष योग्यता हेतु आवंटित अंक- कान्स्टेबल सामान्य/कान्स्टेबल ऑपरेटर पद के अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त विशेष योग्यता हेतु प्रमाण पत्रों के आधार पर निम्नानुसार अंक प्रदान किये जायेगें:-

1- एन.सी.सी. 5 अंक

क्र.सं.	प्रमाण पत्र की श्रेणी	अंक
1	सी- प्रमाण पत्र	5
2	बी- प्रमाण पत्र	3
3	ए- प्रमाण पत्र	2

(एन.सी.सी. के लिए अधिकतम 5 अंक दिये जायेगें)

2- होमगार्ड 3 अंक

क्र.सं.	सेवा अवधि	अंक
1	दो वर्ष से अधिक समय तक बोर्डर होमगार्ड में सेवा देने पर	3
2	शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 3 वर्ष से अधिक होमगार्ड में सेवा देने पर	2
3	शहरी/ग्रामीण क्षेत्र में 2 वर्ष से अधिक होमगार्ड में सेवा देने पर	1

(होमगार्ड के लिए अधिकतम 3 अंक दिये जायेगें)

3- कम्प्यूटर योग्यता 2 अंक

क्र.सं.	कम्प्यूटर कोर्स DOEACC भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से	अंक
1	ए,बी,सी लेवल या इससे उच्च स्तर का कोर्स उत्तीर्ण करने पर	2
2	ओ लेवल कोर्स उत्तीर्ण करने पर	1

(कम्प्यूटर योग्यता के लिए अधिकतम 2 अंक दिये जायेगें)

(vi) स्वास्थ्य परीक्षण-

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

(vii) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन-

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जॉच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा।

7-आवेदन-पत्र एवं परीक्षा शुल्क -

(i) आवेदन पत्र का विक्रय जिला/यूनिट/बटालियन से नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञप्ति एवं पुलिस विभाग की वैबसाईट www. rajpolice.nic.in पर उपलब्ध है। इसकी प्रतिलिपि लीगल आकार (8.5"x14.0") के कागज पर करवाकर अभ्यर्थी द्वारा सफाई से बिना किसी प्रकार की काट-छांट के भरा जायेगा।

(ii) विज्ञप्ति में दिये गये प्रारूप के अनुसार पूर्ण रूप से भरे गये आवेदन-पत्र लीगल (8.5‘‘X14.0‘‘) आकार के कागज पर इच्छित जिला/यूनिट/बटालियन के पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट के कार्यालय में दिनांक 12.11.2010 की सांयकाल 5 बजे तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा प्राप्त हो जाने चाहिए। विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जाये जायेगें। सामान्य/ओबीसी/एसबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क रू0 200/- एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों के लिए केवल रूपये 150/- निर्धारित है। परीक्षा शुल्क केवल भारतीय पोस्टल ऑर्डर जो सम्बन्धित जिला/यूनिट के पुलिस अधीक्षक, कमाण्डेन्ट, आरएसी बटालियन को सम्बोधित हो स्वीकार किया जायेगा। नगद, बैंक ड्राफ्ट, बैंक चालान, चैक अथवा अन्य तरीके से प्रेषित परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप राजस्थान पुलिस विभाग की वैबसाईट www. rajpolice.nic.in पर भी उपलब्ध है।

(iii) आवेदन पत्र के साथ अन्य कोई भी दस्तावेज (मूल अथवा फोटोकॉपी) नहीं लगाये जाएं किन्तु निर्धारित प्रोफार्मा में भरा हुआ प्रवेश पत्र एवं एक लिफाफा 27.5 से. मी.x 12.5 से.मी. साईज का जिस पर स्वंय का पूर्ण व सही पता स्पष्ट अक्षरों में अंकित हो, अवश्य संलग्न किया जावे। समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के साथ प्रकाशित

आवेदन पत्र के साथ ही प्रवेश पत्र का प्रारूप भी प्रकाशित किया गया है जो राजस्थान पुलिस की वैबसाईट www. rajpolice.nic.in पर उपलब्ध है।

(iv) आवेदन-पत्र एवं संलग्न प्रवेश-पत्र में निर्धारित स्थान पर 4X3.5 सेमी. आकार का रंगीन फोटो चिपकावें। फोटो कम्प्यूटर द्वारा स्केन नहीं होकर सामान्य फोटोग्राफिक पेपर पर तैयार किया हुआ होना चाहिए। अस्पष्ट/धुंधला फोटो होने पर आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

(v) आवेदन पत्र उपरोक्त निर्देशानुसार पूर्ण रूप से भरकर उन्हीं जिला/बटालियन/यूनिट के पुलिस अधीक्षक/कमाडेन्ट कार्यालय में दिनांक 12.11.2010 को सायंकाल 5.00 बजे से पूर्व जमा कराने होगें जिस जिला/बटालियन/यूनिट में अभ्यर्थी भर्ती का इच्छुक है। गलत जिला/यूनिट/बटालियन अथवा अन्य कार्यालय में भेजे गये आवेदन पत्र को स्वत: ही निरस्त माना जाऐगा। जो अभ्यर्थी आवेदन पत्र डाक से भेजना चाहते हैं उनके आवेदन पत्र भी नियत दिनांक एवं समय तक सम्बन्धित कार्यालय में प्राप्त हो जाने चाहिए।

(vi) सम्बन्धित जिला/यूनिट द्वारा परीक्षण के उपरान्त पूर्ण/सही पाये गये आवेदन पत्र वाले अभ्यर्थी यों को लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा भेजा जावेगा।

(vii) अभ्यर्थी आवेदन पत्र पूर्ण कर सम्बन्धित कार्यालय में जमा कराने से पूर्व आवेदन पत्र की एक फोटो प्रति करवाकर अपने पास सुरक्षित रखे ताकि लिखित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में डुप्लीकेट प्रवेश पत्र बनवाने में सुविधा हो सके।

(viii) प्रवेश पत्र भेजने के पश्चात डाक आदि में विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं होगा। परीक्षा तिथि से 3 दिन पूर्व तक तक प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं होने पर अभ्यर्थी ने जिस जिला/यूनिट/बटालियन में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है उस कार्यालय में ड्यूप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए लिखित प्रार्थना पत्र मय स्वयं का 4X3.5 सेमी आकार रंगीन फोटो एवं निर्धारित शुल्क 25 रूपये जमा करा कर डुप्लीकेट प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकता है। प्रवेश पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व स्वंय अभ्यर्थी का ही होगा।

8-प्रमाण पत्र-

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्न प्रमाण पत्र मूल रूप में एवं एक-एक प्रमाणित फोटो प्रति प्रस्तुत करने होंगे-

(i) समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।

(ii) आयु प्रमाण-पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)।

(iii) अभ्यर्थी यदि अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विशेष पिछडा वर्ग से सम्बन्धित है तो प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण-पत्र।

(iv) यदि आवेदक राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण-पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।

(v) यदि आवेदक मृतक पुलिस कर्मी पर आश्रित है तो मृतक पुलिस कर्मी, जिसकी कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान मुठभेड़ में मृत्यु हुई हो, उसके आश्रित होने का प्रमाण-पत्र।

(vi) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण-पत्र एवं दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण-पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(vii) यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या प-5(31) कार्मिक/क-2/84 दिनांक 23.09.97 के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रतिनिधित्व कर चुका है तो उससे सम्बन्धित प्रमाण-पत्र।

(viii) एन.सी.सी./होम गार्ड से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(ix) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र ।

(x) कानिस्टेबल डाईवर हेतु स्थाई ड्राईविंग लाईसेंस (LMV/HMV) की मूल प्रति।

(xi) कम्प्यूटर ज्ञान से सम्बन्धित प्रमाण पत्र।

(xii) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4X3.5 सेमी.) फोटो।

9– महत्वपूर्ण निर्देश –

(i) राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 4 के अन्तर्गत सैक्शन i, ii, iii व iv में भर्ती कानि. को राजस्थान के किसी भी जिला/बटालियन/आई.आर बटालियन में पदस्थापित किया जा सकेगा।

(ii) आवेदन पत्र तथा प्रवेश पत्र स्वयं अभ्यर्थी द्वारा भरा जाना अनिवार्य है जिसका प्रारूप विज्ञप्ति के साथ दिया गया है एवं पुलिस विभाग की वैबसाईट www. rajpolice.nic.in पर उपलब्ध है। जिला/यूनिट द्वारा इनका विक्रय नहीं किया जावेगा।

(iii) आवेदक को परीक्षा प्रारम्भ होने के नियत समय से आधा घंटा पूर्व सम्बन्धित परीक्षा केन्द्र पर उपस्थिति देना अनिवार्य है।

(iv) आवेदक यदि ऐसे जिले/यूनिट में आवेदन करता है जहाँ उसके वर्ग/लिंग के रिक्त पद नहीं हैं तो उसका आवेदन-पत्र स्वत: ही निरस्त माना जाएगा।

(v) आवेदन-पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन-पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी लिखित, शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। यदि उक्त गलत सूचना नियुक्ति के बाद भी ज्ञात हुई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए विधि संगत कार्यवाही कर नियमानुसार आपराधिक कार्यवाही भी की जाएगी।

(vi) निरस्त किए गये प्रार्थना-पत्र के अभ्यर्थी को शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।

(vii) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

(viii) आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(ix) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश-पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(xi) लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर.शीट) की जाँच व परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जाएगा। परीक्षा के दौरान उत्तर-पत्रक में उत्तर पत्रक के पीछे की ओर छपे निर्देशों के अनुरूप सूचना भरना अनिवार्य है। उत्तर-पुस्तिका पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर-पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवं नमूना, प्रवेश पत्र के साथ अलग से भिजवाये जायेगे।

(xii) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है।

(xii) छद्मवेश में कार्य करने अथवा तथ्यात्मक सूचना को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करने, परीक्षा के दौरान परीक्षा कक्ष में अनुचित सामग्री लाने, उसका उपयोग करने अथवा सामूहिक नकल किये जाने का प्रयास करना दण्डनीय अपराध है। अत: परीक्षार्थी अनुचित साधनों का प्रयोग नहीं करें अन्यथा उनके विरूद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने पर मुकदमा दर्ज कराया जायेगा। दण्ड की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षो में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

(xiii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या 8 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(xiv)) भर्ती प्रक्रिया सम्बन्धी पुलिस मुख्यालय का स्थायी आदेश 05/2010 एवं यह विज्ञप्ति राजस्थान पुलिस की वैबसाइट (www.rajpolice.nic.in) पर उपलब्ध है। भर्ती के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी सूचना भी वैबसाईट पर उपलब्ध कराई जाएगी।

महानिरीक्षक पुलिस
मुख्यालय,
राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान पुलिस में कानिस्टेबल पद हेतु आवेदन पत्र वर्ष 2010

केवल कार्यालय उपयोग हेतु					
आवेदन पत्र प्राप्ति क्रमांक					
दिनांक					
रोल नम्बर					

1.जिला/यूनिट/बटालियन

2.शाखा (✓)लगाऐं

जिला पुलिस	आरएसी	एमबीसी	वायरलैस	सीआईडी सीबी	सीआईडी आईबी	जीआरपी

3.पद (✓)लगाऐं

कॉन्स्टेबल सामान्य	कानि. ड्राईवर	कानि. बैण्ड	कॉन्स्टेबल घुड़सवार	कॉन्स्टेबल ऑपरेटर

4.आवेदक का नाम -- महिला पुरूष (✓)लगाऐं
(हिन्दी में)

5.पिता/पति का नाम ---
(हिन्दी में)

यहाँ आवेदक अपना 4 X3.5 सेमी. आकार का फोटो गोंद से चिपकाऐं। स्टेपल या आलपिन का प्रयोग नहीं करें।

6.स्थाई पता ग्राम/गली/मोहल्ला ---------- पोस्ट ऑफिस ----------------
तहसील -------------- जिला ------------------- प्रान्त -------------------

7.पत्र व्यवहार का स्पष्ट एवम् पूर्ण पता ---
--- पिन कोड

दूरभाष नम्बर (मय कोड) ------------------मोबाईल नम्बर --------------------------------

8.जन्म दिनांक (अंकों में) दिनांक माह सन् 1 9
(शब्दों में---

9.शैक्षणिकयोग्यता-- 10.राष्ट्रीयता -------------------------

11.वर्ग का नाम (✓)लगाऐं

अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	सहरिया आदिम	अन्य पिछडा वर्ग	विशेष पिछडा वर्ग	सामान्य वर्ग

टीएसपी क्षेत्र निवासी	भूतपूर्व सैनिक	राज्य कर्मचारी	पहाडी क्षेत्र निवासी	कर्तव्य निर्वहन में मारे गये पुलिसकर्मी के आश्रित	उत्कृष्ठ खिलाडी

12.परीक्षा-शुल्क का विवरण

क. सं.	पोस्टल आर्डर नम्बर	दिनांक	पोस्ट आफिस का नाम जहां से पोस्टल आर्डर क्रय किया गया है	राशि

13.आपराधिक विवरण/परीक्षा अथवा भर्ती बोर्ड से निष्काषित (डीबार)(यदि कोई हो तो(✓)लगाऐं)-

	हाँ	नहीं
(क)क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में किसी आपराधिक प्रकरण में पूर्व में चालान पेश हुआ है		
(ख)क्या आपको कभी राज्य सेवा आयोग अथवा भार्ती बोर्ड द्वारा निष्काषित किया गया है		

यदि उपरोक्त में से बिन्दु संख्या 'क' का उत्तर हॉं में है तो एफआईआर नम्बर, दिनांक, धाराऐं, थाना, जिला व प्रकरण की वर्तमान स्थिति अंकित करें। (यदि आवेदन करने के बाद भी आपके विरूद्ध न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यावाही की जाती है तो उसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित जिला/यूनिट/बटालियन को दिया जाना आवश्यक है।)---------------------------------

(आवेदक के हस्ताक्षर)

घोषणा

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मैं विज्ञप्ति के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रखता हूँ/रखती हूँ एवम् मेरे द्वारा आवेदन पत्र में अंकित प्रत्येक सूचना पूर्णत: सत्य है। यदि चयन प्रक्रिया के दौरान उक्त सूचना में कोई असत्यता पाई जाती है तो आवेदन निरस्त किया जाकर मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकती है।

आवेदक के बाँये अँगूठे का निशान

स्थान:-

दिनांक:-

(आवेदक के हस्ताक्षर)

राजस्थान पुलिस में कानिस्टेबल परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र वर्ष 2010
भाग- 1 (अभ्यर्थी द्वारा भरा जावे)

1.जिला/यूनिट/बटालियन

2.शाखा (✓)लगाऐं

जिला पुलिस	आरएसी	एमबीसी	वायरलैस	सीआईडी सीबी	सीआईडी आईबी	जीआरपी

3.पद (✓)लगाऐं

कॉन्स्टेबल सामान्य	कानि. ड्राईवर	कानि. बैण्ड	कॉन्स्टेबल घुडसवार	कॉन्स्टेबल ऑपरेटर

यहाँ आवेदक अपना 4 X3.5 सेमी. आकार का फोटो गोंद से चिपकाऐं। स्टेपल या आलपिन का प्रयोग नहीं करें।

4-जन्म दिनांक (अंकों में)

दिनांक		माह		सन्			
				1	9		

(शब्दों में)--

5-शैक्षणिक योग्यता --

श्री/सुश्री/श्रीमती ------------------------------ पुत्र/पुत्री/पत्नि ------------------------ निवासी ------------
-- (पत्र व्यवहार का पता)
को निम्नानुसार लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाती है।

भाग-2 (केवल कार्यालय उपयोग हेतु। अभ्यर्थी द्वारा नहीं भरा जावे)

1. आवंटित रोल नम्बर

2. परीक्षा केन्द्र का नाम --
3. जिला/यूनिट कोड --
4. परीक्षा का दिनांक --
5. परीक्षा का समय --

(आवेदक के हस्ताक्षर))
(परीक्षा कक्ष में अभिजागर के समक्ष)

हस्ताक्षर
पुलिस अधीक्षक/कमाण्डेन्ट
जिला/यूनिट/बटालियन

परीक्षा हेतु निर्देश-
1. परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे असुविधा से बचने के लिए परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से आधा घन्टा पूर्व उपस्थित हो जावें।
2. लिखित परीक्षा, शारीरिक माप-तौल एंव शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय अभ्यर्थी के लिए इस प्रवेश-पत्र को साथ रखना अनिवार्य है।